न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/27/18	26–02–2018	02–07–2019

01. किशोर कुमार पुत्र मुखराम यादव निवासी ग्राम जालावास उचित मूल्य दूकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान) रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 16–05–2017 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1145/2002

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 05–03–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1145/2002 निलम्बित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निलम्बित किया है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत जालावास तहसील मुण्डावर में उचित मूल्य दूकानदार है तथा 1/2 भाग ग्राम पंचायत जालावास में उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है जिसका प्राधिकार पत्र सं0 1145/2002 है जो वर्ष 2002 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। अपीलान्ट एक पैर से विकलांग है तथा उचित मूल्य दुकान के सचालन से प्राप्त कमीशन से ही अपना व अपने परिवार की बमुश्किल गुजर बसर करता है। जिला रसद अधिकारी अलवर के झूठे तथ्यों पर विशम्भर दयाल पुत्र सुण्डा राम यादव द्वारा शिकायत की गई जो अपीलान्ट से जमीन क्रय करने के पूर्व प्रकरण के कारण दिली रंजिश रखता है। ग्राम पंचायत चुनाव जालावास में अपीलान्ट के ताऊ का लकडा सूबेसिंह सरपंच का चुनाव लडकर विजयी हुआ था और शिकायतकर्ता सरपंच पद का चुनाव हार गया। अपीलान्ट नियमिति रूप से राशन का वितरण करता रहा है। जिला रसद अधिकारी अलवर से दिनांक 14.2.18 को एक नोटिस सं0 1151 दिनांक 14.2.18 का अपीलान्ट को दिया गया जिसमें दिनांक 12.7.17 को अपीलान्ट को कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना दर्ज है, दिनांक 12.7.17 का कोई नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ है। तथाकथित नोटिस दिनांक 12.7.17 अपीलान्ट को दिनांक 14.2.18 का नकल दस्तावेजात के साथ प्राप्त हुआ है। जिसका समुचित जवाब अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी के यहॉ दिनांक 20–02–2018 को प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जबकि अवसर दिया जाना आवश्यक है। राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 (2) के अनुसार 90 दिवस से अधिक प्राधिकार पत्र निलम्बित नहीं रखा जा सकता। अपीलान्ट वर्ष 2002 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्ध तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 16–05–2017 के विरूद्ध दिनांक 26–02–2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 09–02–2018 होना जाहिर किया है। रैस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। प्राधिकार पत्र को 90 दिवस के बाद भी बहाल नहीं किया, जबकि निलम्बन आदेश 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही बताई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी अपीलान्ट के द्वारा प्राधिकार पत्र शर्तो का स्पष्ट उल्लंधन पाये जाने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। तहत अदालत में अपीलान्ट उपस्थित नही होने एवं उपस्थित नही होने, जांच में सहयोग न करने तथा वितरण रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया बिना पूर्व सूचना दुकान बन्द रखे जाने का कोई युक्तियुक्त एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रकट नही किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत दृष्टान्त में ऐसा नही है, कि अपीलान्ट जांच के दौरान उपस्थित नही मिलना ओर नही जांच हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध कराने उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में अनियमितता करना में किसी न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया हो। अपीलान्ट इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ रहा है। हम तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.05.17 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर